<u>न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर</u>

<u>पत्रावली प्रार्थना पत्र /FSSA/संख्या : 17/2018</u>

जगदीश प्रसाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर।

आवेदक

<u>बनाम</u>

श्री प्रहलाद पुत्र श्री शिवचरन लाल मालिक एवं विक्रेता प्रहलाद मिष्ठान भण्डार रीको रोड भरतपुर जाति वघेल निवासी मडरपुर बराखुद जिला भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (II) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थिति :

1. गैरसायल स्वयं

<u>निर्णय</u> **दिनांक : 7.3.2018**

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (II) एफ. एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011 विरूद्ध गैरसायल प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को गैर सायल उपस्थित। प्रार्थी उपस्थित नहीं। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 13.10.2017 को दोपहर 01:30 बजे गैरसायल की दुकान प्रहलाद मिष्ठान भण्डार रीको रोड भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की दुकान पर एल्यूमिनियम की ट्रे में करीब 5 कि0ग्रा0 कलाकंद आम जनता इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु पाया गया। जिसमें मिलावट/ संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–1090/एक्ट/2017/1120 दिनांक 10.11.2017 द्वारा उक्त कलाकंद एलएस–1090/एक्ट/2017/1120 दिनांक 10.11.2017 द्वारा उक्त कलाकंद का नमूना अवमानक स्तर (Sub standard) प्रकृति का पाया गया है। गैर सायल द्वारा अवमानक स्तर (Sub standard) प्रकृति के कलाकंद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि उसके द्वारा पशुपालकों से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता का दूध क्रय कर कलाकंद इत्यादि मिठाई निर्मित किया जाकर आम जनता को विक्रय की जाती है। गैरसायल के द्वारा वक्त निरीक्षण पाये गये कलांकद में कोई मिलावट अपने स्तर से नहीं की गई है। गैर सायल यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए किसी भी खादय पदार्थ का विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैर सायल के कथनों पर मनन किया । दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल के विक्रय स्थल से जो कलाकंद का नमूना लिया गया था वह खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या संख्या – एलएस–1099/एक्ट/2017/1120 दिनांक 10.11.2017 के द्वारा अवमानक स्तर (Sub standard) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही करने एवं सावधानी पूर्वक कलाकंद मिठाई विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 3000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायल द्वारा रसीद संख्या 000026 दिनांक 7.3.2018 से अर्थदण्ड राशि जमा राजकोष की गई । कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 7.3.2018 को सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official